प्रेषक

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद।

सेवा में

प्रबन्धक सरस्वती शिक्षा सदन
राम पार्क एक्सटेंशन लोनी।

पत्रांक : आशु0/ 5521 दिनांक 31/8/05

विषय : प्राईमरी स्तर की स्थायी मान्यता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र पर शिक्षा अधीक्षक नगर क्षेत्र....उप बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा की गई संस्तुति पर दिनाँक (31-8-2005) में जिला मान्यता समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार आपके विद्यालय को प्राईमरी की स्थायी मान्यता निम्न प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है :-

1. विभाग से अनुमति प्राप्त किये बिना कक्षा 6 से 8 तक की कक्षायें कदापि संचालित न की जायें।
2. विभाग द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम लागू किया जावे। अस्वीकृत पुस्तकें प्रयोग न की जावे।
3. निर्धारित शुल्क से ज्यादा कदापि न लिया जावे।
4. मान्यता विषय पत्रों में दी गयी सूचना गलत पाये जाने तथा विभागीय आदेशों तथा निर्देशों का अनुपालन न होने पर स्थायी मान्यता समाप्त करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित है।
5. कार्यरत अध्यापकों / कर्मचारियों को विभाग द्वारा स्वीकृत वेतन तथा भत्ते निश्चित रूप से बैंक माध्यम से किये जायें। अर्ह अध्यापकों को उनके पद पर स्थायी किया जाय तथा उन्हें प्राविधायी योजना की सुविधा दी जावे।
6. ग्राउन्ड डेस्कों की व्यवस्था की जावे।
7. विद्यालय में अग्निरोधक यन्त्र लगायें।

भवदीय

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद

पृष्ठां0 – आशु0/ / तद् दिनाँक

1. प्रतिलिपि सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी विकास क्षेत्र.......लोनी.......गाजियाबाद सूचनार्थ प्रेषित।
2. नगर शिक्षा अधिकारी..........गाजियाबाद।

अभिलेख से सत्यापित

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद।

मुख्य अध्यापक
सरस्वती शिक्षा सदन
राम पार्क...

MANAGER
SARASWATI INTER COLLEGE
RAMPARK EXTN., TRONICA CITY
GHAZIABAD, U.P. - 201102

(ATAR SINGH BHARGAV)
ASSTT. EDUCATION OFFICER (BASIC)
LONI (GZB.)

Principal
Saraswati Inter College
Rampark, Extn., Tronica City
Loni, Gzb., U. P.-201103

प्रेषक,

मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
मेरठ मण्डल मेरठ

सेवा में,

प्रबन्धक,

सरस्वती शिक्षा सदन जू0हा0स्कूल,
राम पार्क,ग्राम पंचायत खानपुर लोनी,गाजियाबाद

पत्रांक सं0: शि.स./ 2172-75 /2003-04 दिनाँक 3-11-03

विषयः- जूनियर स्तर की नवीन अस्थायी मान्यता की स्वीकृति ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके आवेदन पत्र एवं निरीक्षक वर्ग की आख्या के आधार पर मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक 18 अक्टूबर 2003 में लिये गये निर्णयानुसार राजाज्ञा संख्या 646/15-6-97-18 एस (7) 89/शिक्षा (6) अनुभाग लखनऊ दिनांक 13 अगस्त 1997 में किये गये प्राविधानों के अन्तर्गत निम्नांकित कतिपय प्रतिबन्धी के साथ आपके विद्यालय को जूनियर हाई स्कूल (कक्षा 6 से 8 तक) स्तर की नवीन अस्थायी मान्यता प्रदान की जाती है।

प्रतिबन्ध :-

1) विद्यालय की अस्थायी मान्यता तब तक चलती रहेगी जब तक कि स्थायी मान्यता की शर्ते पूर्ण कर अस्थायी मान्यता को स्थायी मान्यता मे परिवर्तित नहीं करा ली जाती।
2) प्रबन्धाधिकरण को अपने कर्मचारियों और शिक्षकों को मिनिमम वेजजऐक्ट के तहत चैक द्वारा वेतन का भुगतान करना होगा।
3) विद्यालय में छात्रों के चरित्र निमार्ण से सम्बंधित एवं राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र ध्वज का सम्मान व सर्वधर्म समभाव तथा मानवीय मूल्यों की सम्प्रति के लिये जारी विभिन्न शासनादेशों का पालन अनिवार्य रूप से करवाया जाये।
4) समिति के पंजीकरण का समयानुसार नवीनीकरण कराया जाये।
5) शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित दरों के अनुकूल ही शुल्क लिया जायेगा तथा विद्यालयों की समस्त निधियों का लेखा उचित रूप से रखा जायेगा। भवन शुल्क/कैपिटेशन फीस के रूप में कोई धनराशि विद्यार्थियों से लिया जाना वर्जित होगा।
6) मान्यता प्राप्त विद्यालय अपने शिक्षक/शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को वही वेतनमान मंहगाई भत्ता देने का जिम्मेदार होगा जो परिषद के समान आंहता वाले शिक्षक/शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को प्राप्त हो रहे होंगे।
7) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना संस्था द्वारा कक्षा अथवा कोई सेक्शन न तो बन्द किया जायेगा और खोला जायेगा न समाप्त किया जायेगा।
8) विद्यालय में शिक्षा का माध्यम देवनागरी लिपि होगी, हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जायेगी। विद्यालय में अस्वीकृत पुस्तकों का प्रयोग नहीं किया जायेगा।
9) विद्यालय में सभी वर्ग, धर्म तथा जाति के बच्चों का प्रवेश किया जाना अनिवार्य होगा।
10) विद्यालय में समस्त प्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जाये तथा विभाग से उनका अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

MANAGER
SARASWATI INTER COLLEGE
RAMPARK EXTN., TRONICA CITY
GHAZIABAD, U.P. - 201102

Principal
Saraswati Inter College
Rampark, Extn., Tronica City
Loni, Gzb., U.P.-201103

11) विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के बच्चों एवं आश्रितों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाये।

12) विभागीय आदेशों का पालनप किया जाये।

13) विद्यालय के समस्त स्थायी अध्यापक/अध्यापिकाओं पर भविष्य निर्वाह निधि की योजना लागू की जानी चाहिए।

14) विद्यालय का निरीक्षण शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा कभी भी किया जा सकता है। विद्यालय शिक्षा विभाग के [illegible] गये निर्देशों का पालन करेगा।

15) विभागीय आदेशों/नियमों की अवहेलना करने पर मान्यता समाप्त की जा सकती है।

16) जिन विद्यालयों के शिक्षण कक्ष छोटे है वह 10 स्क्वायर फीट के हिसाब से छात्र संख्या निर्धारित करने हुए छात्रों को बैठाये तथा भविष्य में विभागीय निर्धारित माप 20x25 की माप के कक्षों का निमार्ण करायें।

भवदीय,

सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
मेरठ मण्डल मेरठ

पृ0सं0 शि.स./ /2003–04 दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ.प्र. इलाहाबाद।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ.प्र., इलाहाबाद।
3. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गाजियाबाद
4. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, गाजियाबाद
5. शिक्षा अधीक्षक/अधीक्षिका नगर क्षेत्र, ।
6. क्षेत्रीय सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, गाजियाबाद ।

MANAGER
SARASWATI INTER COLLEGE
RAMPARK EXTN., TRONICA CITY
GHAZIABAD, U.P. - 201102

सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
मेरठ मण्डल मेरठ

MANAGER
SARASWATI INTER COLLEGE

Principal
Saraswati Inter College
Rampark, Extn., Tronica City
Loni, Gzb., U. P.-201103

Ckg/jhr/mmm